**भारत सरकार**
**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**
**लोकसभा**
**अतारांकित प्रश्न सं0 3083**
**12 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए**

**पीएमएवाई पर रिपोर्ट**

**3083. श्री एस॰ आर॰ पार्थिबनः**
**श्री एच॰ वसंतकुमारः**
**डॉ॰ ए॰ चेल्लाकुमारः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देशभर में प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत निर्मित मकानों की संख्या से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित करेगी तथा यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) पीएमएवाई के तहत विशेष रूप से मछुआरा/गैर-मछुआरा समुदाय के लिए आवासों के आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे/आवंटित ईडब्ल्यूएस की संख्या आज की तिथि तक कितनी है;
(ग) देशभर में सभी ईडब्ल्यूएस के लिए जल्द से जल्द आवासों का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में निधि आवंटन और व्यय का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**
**(श्री हरदीप सिंह पुरी)**

(क) : वर्ष 2022 तक "सबके लिए आवास" के सरकार के विजन के अनुपालन में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) [पीएमएवाई (यू)] का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि सभी पात्र शहरी परिवारों, विशेषकर आर्थिक रूप से

कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के परिवारों/लाभार्थियों को सभी मौसम अनुकूल आवास मुहैया कराने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा सके। आवास की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आवास की वास्तविक मांग का निर्धारण करने के लिए स्कीम के तहत मांग सर्वेक्षण किया है और अब तक वैध मांग लगभग 112 लाख है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अब तक प्राप्त किए गए परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, स्कीम के तहत कुल 103,61,738 आवास स्वीकृत किए गए हैं; इनमें से 61,57,734 आवास निर्माण के विभिन्न चरणों पर हैं और 32,15,926 आवास पूरे हुए हैं/सुपुर्द किए जा चुके हैं।

पीएमएवाई (यू) के तहत निर्मित कुल आवासों के साथ पिछले प्रत्येक तीन वर्ष के दौरान निर्मित आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण अनुलग्नक-I पर है।

(ख) से (घ) : पीएमएवाई (यू) के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परियोजना प्रस्तावों को तैयार करते हैं और उन्हें स्कीम के तहत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) से अनुमोदित कराते हैं। संबंधित एसएलएसएमसी के अनुमोदन के बाद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा केन्द्रीय सहायता के अनुमोदन हेतु मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आवासों की अपनी शेष सभी मांग के परियोजना प्रस्तावों को मार्च/अप्रैल, 2020 तक स्वीकृत कराने का अनुरोध किया गया है कि ताकि वर्ष 2022 तक सभी आवासों के निर्माण को उत्तरोत्तर पूरा किया जा सके।

1,57,297 करोड़ रू. की केन्द्रीय सहायता से शहरी गरीबों (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणियां) के लिए कुल 100,85,691 आवास स्वीकृत किए गए हैं; जिसमें से 59,903 करोड़ रू. की राशि जारी की जा चुकी है। पीएमएवाई (यू) के तहत पिछले प्रत्येक तीन वर्ष के दौरान शहरी गरीबों हेतु स्वीकृत और जारी केन्द्रीय सहायता का विवरण अनुलग्नक-II पर है।

----

दिनांक 12.03.2020 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3083 के उत्तर में उल्लिखत अनुलग्नक-I

## पीएमएवाई (यू) के तहत पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान निर्मित आवासों के साथ-साथ निर्मित कुल आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण

| क्र.सं. | राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम | निर्माण पूर्ण किए गए / सुपुर्द किए गए (सं.)* | पिछले प्रत्येक तीन वर्ष के दौरान पूर्ण किए गए आवास (सं.)* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | वि.व. 2016-17 | वि.व. 2017-18 | वि.व. 2018-19 |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी) | 20 | - | - | 20 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 3,26,229 | 3,299 | 29,791 | 2,60,223 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 1,829 | - | 16 | 1,308 |
| 4 | असम | 17,816 | 66 | 381 | 13,847 |
| 5 | बिहार | 68,045 | 12,184 | 2,100 | 37,464 |
| 6 | चंडीगढ़ (यूटी) | 5312 | 4963 | 57 | 154 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 83,351 | 3307 | 3561 | 42,096 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली (यूटी) | 2,228 | 103 | 366 | 1,167 |
| 9 | दमन और दीव (यूटी) | 874 | 3 | 65 | 291 |
| 10 | दिल्ली (एनसीआर) | 40,895 | 4244 | 2,487 | 17,579 |
| 1 1 | गोवा | 1,041 | 10 | 99 | 392 |
| 12 | गुजरात | 3,76,814 | 28,928 | 48,726 | 1,96,550 |
| 13 | हरियाणा | 21,266 | 549 | 2,093 | 10,535 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 3653 | 43 | 202 | 1,858 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर (यूटी) | 6994 | 203 | 179 | 3286 |
| 16 | झारखंड | 78,449 | 3886 | 26,421 | 31,343 |
| 17 | कर्नाटक | 1,65,384 | 11,920 | 31,087 | 94,920 |
| 18 | केरल | 72,738 | 301 | 3809 | 42,691 |
| 19 | लद्दाख (यूटी) | 370 | - | - | 280 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | लक्षद्वीप (यूटी) | - | - | - | - |
| 21 | मध्य प्रदेश | 3,20,079 | 5316 | 39,119 | 2,19,728 |
| 22 | महाराष्ट्र | 2,85,806 | 13,621 | 35,162 | 1,20,918 |
| 23 | मणिपुर | 3,841 | 24 | 177 | 2,231 |
| 24 | मेघालय | 1,007 | 248 | 27 | 450 |
| 25 | मिजोरम | 3,524 | 118 | 188 | 632 |
| 26 | नागालैंड | 4,119 | 494 | 89 | 1,394 |
| 27 | ओडिशा | 67,525 | 2,771 | 2,376 | 46,075 |
| 28 | पुदुचेरी (यूटी) | 3,407 | 79 | 51 | 1,899 |
| 29 | पंजाब | 23,413 | 338 | 1,860 | 9335 |
| 30 | राजस्थान | 80,511 | 4256 | 8204 | 21,641 |
| 31 | सिक्किम | 244 | 1 | 2 | 61 |
| 32 | तमिलनाडु | 2,92,097 | 6593 | 34,004 | 1,57,589 |
| 33 | तेलंगाना | 99,367 | 2,792 | 3,140 | 58,171 |
| 34 | त्रिपुरा | 42,551 | 161 | 7303 | 28,663 |
| 35 | उत्तर प्रदेश | 4,33,245 | 9639 | 12,005 | 2,97,627 |
| 36 | उत्तराखंड | 15,256 | 1,460 | 1,986 | 5669 |
| 37 | पश्चिम बंगाल | 1,89,579 | 7191 | 30,765 | 89,509 |
| **कुल योग :-** | | **32,15,926 ^** | **1,29,111** | **3,27,898** | **18,17,596** |

* पूर्व जेएनएनयूआरएम के अपूर्ण आवास शामिल हैं।

^ वे 77,047 लाभार्थी शामिल हैं जिन्होंने ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के तहत बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) के माध्यम से हाल ही में आवास प्राप्त किए हैं

**दिनांक 12.03.2020 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3083 के उत्तर में उल्लिखत अनुलग्नक ।।**

| पीएमएवाई (यू) के तहत पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान शहरी गरीबों के लिए स्वीकृत और जारी केंद्रीय सहायता का ब्यौरा | | |
|---|---|---|
| **विवरण** | **वित्तीय वर्ष** | **उपलब्धि** |
| वर्ष-वार स्वीकृत केन्द्रीय सहायता | 2016-17 | 14,244.80 करोड़ रू. |
| | 2017-18 | 37,350.78 करोड़ रू. |
| | 2018-19 | 57,262.87 करोड़ रू. |
| वर्ष-वार जारी केंद्रीय सहायता | 2016-17 | 4,597.68 करोड़ रू. |
| | 2017-18 | 15,967.28 करोड़ रू. |
| | 2018-19 | 22,096.83 करोड़ रू. |